भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1419

(जिसका उत्तर सोमवार, 9 फरवरी, 2026 /20 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है)

जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड में वित्तीय अनियमितताएं

1419. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सेबी ने जून, 2024 में शेयर की कीमतों में हेरफेर, धन के दुरुपयोग और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के लिए जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ जांच शुरू की थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कंपनी ने दिसम्बर 2024 में ऋण पुनर्भुगतान में चूक की थी, जबकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को "कोई चूक नहीं" होने की गलत जानकारी दी गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी ने 6,400 ईवी वाहनों की खरीद के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) से 978 करोड़ रुपये का ऋण लिया था, लेकिन केवल 4,704 वाहन ही खरीदे और लगभग 262 करोड़ रुपये का अन्यत्र उपयोग किया गया, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पीएफसी ने जब्त किए गए वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा है, यदि हां, तो उनके निपटान और भंडारण की लागत कितनी है;

(ङ) क्या सार्वजनिक निविदा में बोलीदाताओं को पर्याप्त समय दिया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उपरोक्त मामलों में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और निर्धारित की गई जवाबदेही का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) सेबी ने दिसंबर 2024 में जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की गलत बयानी/गलत विवरण और वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान सूचीबद्ध इकाई से धन के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू की थी, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, सेबी (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का उल्लंघन है।

(ख) जैसा कि 15 अप्रैल, 2025 के अंतरिम आदेश में बताया गया है, जेनसोल ने आईआरईडीए और पीएफसी के ऋण पुनर्भुगतान में चूक की थी और सीआरए को गलत जानकारी प्रदान की थी कि वह अपनी ऋण सेवा में नियमित था।

(ग) सेबी की प्रारंभिक टिप्पणियां, जैसा कि 15 अप्रैल, 2025 के अंतरिम आदेश में सामने आया है, यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी द्वारा इरेडा और पीएफसी से सावधि ऋण के रूप में 977.75 करोड़ रुपये लिए थे, जिसमें से अंतरिम आदेश की तिथि के अनुसार, 663.89 करोड़ रुपये (पीएफसी से 352.42 करोड़ रुपये और आईआरईडीए से 311.48 करोड़ रुपये) 6,400 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए थे और केवल 4,704 ईवी खरीदे गए थे।

(घ) से (च) पीएफसी ने ऋण चूक के लिए जेनसोल के खिलाफ एक मूल आवेदन (ओए) दायर किया था और माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने प्रतिवादियों को उनकी चल और अचल संपत्तियों का निपटान करने से रोक दिया था और पीएफसी प्रतिनिधि को वाहनों को भौतिक कब्जे में लेने और उसे बनाए रखने/संरक्षित करने के लिए विशेषज्ञता रखने वाली किसी भी स्वतंत्र एजेंसी को नियुक्त करने की स्वतंत्रता के साथ नियुक्त किया था। हालांकि, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू होने पर यह प्रक्रिया जारी नहीं रह सकी। जेनसोल को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा सीआईआरपी में शामिल किया गया है और कंपनी के मामलों का प्रबंधन दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के प्रावधानों के अनुसार समाधान पेशेवर (आरपी) द्वारा किया जा रहा है। आईआरईडीए और पीएफसी ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में भी शिकायतें दर्ज कराई हैं। इसके अलावा, प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर, सेबी ने 15 अप्रैल, 2025 को एक अंतरिम आदेश और 30 जुलाई, 2025 को एक पुष्टिकरण आदेश पारित किया है, और अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) को प्रतिभूतियों की खरीदने, बिक्री या सौदा करने और/या अगले आदेश तक जेनसोल में निदेशक या केएमपी का पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया है।